न्‍यायालय, राज्‍य आयुक्‍त नि:शक्‍तता, बिहार

**(अन्‍तर्गत दिव्‍यांगजन अधिकार अधिनियम-2016)**

**पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना, पिन कोड-800015 दूरभाष सं०-0612-2215041,**2215152, **E-mail-scdisablity-bih@gov.in, Website :- scdisabilities.com**

**वाद सं०-**

**पत्रांक-.................. दिनांक-..............**

**सेवा में,**

श्री...

 **वादी का नाम (पता सहित)**

**महाशय,**

 **आपके द्वारा समर्पित शिकायत / परिवाद के आधार पर कार्यालय अन्‍तर्गत उपरोक्‍त वाद संख्‍या संधारित है। कार्यालय द्वारा संबंधित मामले को समुचित प्राधिकारी के पास प्रस्‍तुत कर आवश्‍यक जॉंच एवं नियमानुकूल कारवाई हेतू पत्र/सूचना प्रेषित किए गए हैं। उक्‍त कृत कारवाई से आपको भी अवगत कराया गया है। शिकायत की अद्यतन स्थिति आपके स्‍तर से अप्राप्‍त है। मामले में अग्रेतर कारवाई हेतु यह अपेक्षित है।**

 **इस संबंध में उल्‍लेखित है कि दिव्‍यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 38 (1) के अनुसार आयुक्‍त नि:शक्‍तता का कार्यालय को समर्पित परिवाद में निम्‍न विवरण अंतर्विष्‍ट होने चाहिए :-**

**(क) व्यथित व्यक्ति का नाम, वर्णन (जन्म तिथि, लिंग) और पता (ई-मेल, सम्पर्क मोबाइल / दूरभाष नम्बर)।**

**(ख) यथास्थिति, विरोधी पक्षकार या पक्षकारों/उतरदायी पदाधिकारी का नाम, वर्णन और पता/ पते (ई-मेल, सम्पर्क मोबाइल/दूरभाष नम्बर) जहाँ तक उन्हें अभिनिश्चित किया जा सकेगा।**

 **(ग) परिवाद से सम्बन्धित तथ्य और वह कब और कहाँ उद्भूत हुआ।**

 **(घ) परिवाद में अन्तर्विष्ट अभिकथनों के समर्थन में दस्तावेज।**

 **(ड) वह मांग जिसके लिए व्‍यथित व्‍यक्ति दावा करता है का स्‍पष्‍ट विवरण।**

 **(च) स्‍वअभिप्रमाणित दिव्‍यांगता प्रमाण-पत्र।**

**(छ) एक वचनबंध कि प्रस्‍तुत मामला भारत वर्ष के किसी अन्‍य न्‍यायालय में लम्बित नहीं है।**

 **तदनुसार, उक्‍त संदर्भित नियम के आलोक में अनुरोध है कि शिकायत की अद्यतन स्थिति के संबंध में उपरोक्‍त अनुरूप बिन्‍दुवार विवरण अंकित करते हुए परिवाद पत्र कार्यालय को एक माह के भीतर समर्पित किया जाना सुनिश्चित करें।**

  **परिवाद के संबंध में यथाविहित विवरण निर्धारित समयावधि के भीतर उपलब्‍ध नहीं कराने की स्थिति में यथेष्‍ट लाभ/मॉंग प्राप्‍त हो जाने अथवा अन्‍यान्‍य मानते हुए वाद को संचिकास्‍त कर दिया जाएगा।**

 विश्‍वासभाजन

 राज्‍य आयुक्‍त नि:शक्‍तता

 बिहार, पटना।